भारत सरकार

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या – 35

(जिसका उत्तर मंगलवार, 24 फरवरी, 2015 को दिया गया)

<u>भूसंपदा क्षेत्र में भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग द्वारा अनुचित व्यापार परिपाटियों की छानबीन</u>

35. श्री सालिम अन्सारी :

क्या **कारपोरेट कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) भूसंपदा क्षेत्र में कथित अनुचित व्यापार परिपाटियों के विभिन्न पहलुओं की जांच कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) भवन निर्माताओं को फायदा पहुंचाने वाले एकतरफा करारों, जिनके कारण निवेशकों और मकान मालिकों में काफी नाराजगी है, के पहलुओं की जांच करेगा; और

(घ) यदि हां, तो सरकार भूसंपदा कंपनियों द्वारा किए गए ऐसे मनमाने करारों को दुरुस्त करने के लिए क्या-क्या कार्रवाई करने का विचार रखती है?

उत्तर

कारपोरेट कार्य मंत्री (श्री अरुण जेटली)

(क) और (ख) : जी, हां। दिनांक 11.02.2015 की स्थिति के अनुसार, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) ने रियल्टी क्षेत्र में कथित प्रतिस्पर्धा विरोधी व्यवहारों/प्रभावपूर्ण स्थिति के दुरूपयोग के 132 मामलों का निपटान किया है। इनमें से, 93 मामले प्राथमिक स्तर पर ही बंद किए गए हैं और 3 मामले महानिदेशक (डीजी), भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के प्रतिवेदन पर विचार के पश्चात् निपटाए गए हैं। 13 मामलों में आयोग ने "सीज़ और डेसिस्ट आदेश" पारित किए हैं और 1 मामले में "सीज़ और डेसिस्ट आदेश" पारित करने के अतिरिक्त डीएलएफ लिमिटेड पर 630 करोड़ रुपए का जुर्माना भी लगाया है।

(ग) और (घ) : प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 के उपबंधों के अधीन भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग द्वारा स्वतः या किसी सूचना की प्राप्ति पर रियल्टी क्षेत्र सहित सभी क्षेत्रों में कथित प्रतिस्पर्धा विरोधी व्यवहारों/प्रभावपूर्ण स्थिति के दुरूपयोग के मामलों की जांच की जाती है।

*****